प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 05.11.2026

***थाना धर्मसिंहवा क्षेत्र में धान चोरी की डायल-112 पर दी गई सूचना की पुलिस जांच में चोरी की घटना नहीं हुई पुष्टि, आवेदक द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस कार्रवाई से किया गया इनकार ***

दिनांक 04.11.2026 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पथरहट निवासी श्री मोहम्मद मुस्ताक पुत्र मुस्तफा द्वारा डायल-112 पर सूचना दी गई कि वह अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था। वापस घर आने पर देखा कि उनके घर में रखा धान चोरी हो गया है।

उक्त सूचना पर थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रकरण की जांच-पड़ताल एवं पूछताछ की गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि मोहम्मद मुस्ताक के सगे पट्टीदार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से धान के बोरे को उठाकर अपने घर में सुरक्षित रख लिया गया था। पुलिस द्वारा जानकारी किए जाने पर उक्त धान का बोरा सकुशल मोहम्मद मुस्ताक को वापस मिल गया।

इस संबंध में आवेदक मोहम्मद मुस्ताक द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उन्हें उनका धान का बोरा वापस मिल गया है तथा वह इस प्रकरण में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. अभिषेक कुमार नायक पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार नायक उर्फ अशोक नायक निवासी बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 अनिल कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 369 वाहनों से 530,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 369 वाहनों से 530,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्व0 श्री शोभित पाण्डेय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य एवं शिक्षा-दीक्षा के प्रति सहयोग और संवेदना व्यक्त करती है।

दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार शोभित पाण्डेय के परिवार के प्रति पुलिस अधीक्षक की संवेदनशील पहल
बच्चों की शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए परिजनों को ₹5,51,000 की सहयोग राशि प्रदान

संतकबीरनगर के वरिष्ठ पत्रकार स्व0 श्री शोभित पाण्डेय के असामयिक निधन पर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा पुलिस परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शोकाकुल परिजनों को ₹5,51,000 (पांच लाख इक्यावन हजार रुपये) की सहयोग राशि प्रदान की गई।
यह सहयोग राशि विशेष रूप से दिवंगत पत्रकार के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा एवं पारिवारिक संबल को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है।
स्व0 श्री शोभित पाण्डेय जनपद के प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं कर्मठ पत्रकार रहे। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में निष्पक्षता, निर्भीकता एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वर्तमान में वे समाचार पत्र हिन्दुस्तान में क्राइम रिपोर्टर के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व वे अमर उजाला में चीफ ब्यूरो के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे।
उनके असामयिक निधन से पत्रकारिता जगत के साथ-साथ पूरे जनपद में शोक की लहर है। उनका निधन पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है।
इस दुःखद एवं कठिन घड़ी में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दिवंगत पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई निर्बाध रूप से जारी रह सके तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में आर्थिक कठिनाई बाधक न बने।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा स्व0 श्री शोभित पाण्डेय को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
संतकबीरनगर पुलिस की संवेदना
संतकबीरनगर पुलिस स्व0 श्री शोभित पाण्डेय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके बच्चों की शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हरसंभव सहयोग की भावना के साथ खड़ी है।ॐ शांति।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वेल्डिंग की दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की वेल्डिंग मशीन, हैमर मशीन सहित अन्य सामान बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1002/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम कुमार प्रजापति पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ग्राम गोरखल गैस गोदाम के सामने थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 04.11.2026 को औद्योगिक क्षेत्र मे शमशान घाट के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 30.10.2026 को श्री तारिक पुत्र गौहर अली निवासी मोहल्ला अंसार टोला खलीलबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत मेंहदावल बाइपास के भारत इन्जिनियरिंग वर्क्स शाप से वेल्डिंग मशीन, गलेन्डर मशीन तथा हैमर मशीन आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामान की बरामदगी के आधार पर पंजीकृत मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम कुमार प्रजापति पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ग्राम गोरखल गैस गोदाम के सामने थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

1. एक अदद वेल्डिंग मशीन
2. एक अदद रोटरी हैमर मशीन मय बॉक्स
3. 09 अदद ब्लेड
4. एक अदद बीट
5. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 संदीप यादव, का0 विपिन कुमार मौर्या, का0 सुनील पाल, म0का0 आरजू सिंह।